

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रेफ़िक की परिभाषा' पर अनुशंसाएं जारी की

नई दिल्ली, 10 दिसंबर 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रेफ़िक की परिभाषा' पर अनुशंसाएं जारी की।

2. दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 30.08.2022 के माध्यम से भादूविप्रा से अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस और घरेलू एसएमएस की परिभाषा पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11 (1) (ए) के तहत अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

3. इस संबंध में 'अंतर्राष्ट्रीय यातायात की परिभाषा' पर एक परामर्श पत्र 02.05.2023 को जारी किया गया था जिसमें हितधारकों की टिप्पणियां/ प्रति टिप्पणियां मांगी गई थीं। कुल मिलाकर, 20 हितधारकों ने अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं, और सात हितधारकों ने अपनी प्रति टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। इस परामर्श पत्र पर एक ओपन हाउस चर्चा 24.08.2023 को आयोजित की गई थी।

4. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/ प्रति टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने 'अंतर्राष्ट्रीय यातायात की परिभाषा' पर अपनी अनुशंसाएं को अंतिम रूप दे दिया है।

5. इन अनुशंसाओं के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

क. 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रेफ़िक' शब्द को प्रासंगिक दूरसंचार सेवा लाइसेंसों और प्राधिकारों में निम्नानुसार परिभाषित किया जाना चाहिए:
"अंतर्राष्ट्रीय ट्रेफ़िक का अर्थ है एक देश में उत्पन्न होने वाला और दूसरे देश में अंत होने वाला ट्रेफ़िक, जहां एक देश भारत है।"

ख. 'अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस संदेश' शब्द को प्रासंगिक दूरसंचार सेवा लाइसेंस और प्राधिकारों में निम्नानुसार परिभाषित किया जाना चाहिए:
"अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस संदेश का अर्थ है एसएमएस का उपयोग करके पहुँचने वाला अंतर्राष्ट्रीय ट्रेफ़िक।"

ग. निम्नलिखित स्पष्टीकरण को प्रासंगिक दूरसंचार सेवा लाइसेंसों और प्राधिकारों में अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस की परिभाषा के तहत शामिल किया जाना चाहिए:
"किसी भी आने वाले ऐप्लीकेशन टू पर्शन (A2P) एसएमएस संदेश को अंतरराष्ट्रीय एसएमएस संदेश माना जाएगा, यदि इसे भारत के बाहर स्थित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर अनुप्रयोग के उपयोग या हस्तक्षेप के बिना उत्पन्न, प्रसारित या प्राप्त नहीं किया जा सकता है।"

- घ. 'घरेलू यातायात' शब्द को प्रासंगिक दूरसंचार सेवा लाइसेंसों और प्राधिकारों में निम्नानुसार परिभाषित किया जाना चाहिए:
"घरेलू यातायात का अर्थ है भारत के भीतर उत्पन्न और अंत होने वाला यातायात।"
- ङ. 'घरेलू एसएमएस' शब्द को प्रासंगिक दूरसंचार सेवा लाइसेंसों और प्राधिकारों में निम्नानुसार परिभाषित किया जाना चाहिए:
"घरेलू एसएमएस का अर्थ है एसएमएस का उपयोग करके पहुँचने वाला घरेलू ट्रेफ़िक।"
5. यह अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट (www.traai.gov.in) पर अपलोड कर दी गई हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-
(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा